

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 122वीं बैठक दिनांक 19.11.2007 में लिये गये निर्णय/सुझाव का विवरण ।

सं.	ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/ सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
1	122.1	कार्यकारी समिति की 121 वीं बैठक दिनांक 18.10.2007 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से पुष्टि किये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया।		
2	122.2	रोहिणी नगर-द्वितीय में भूखण्ड संख्या बी-149 के नियमितिकरण के सम्बन्ध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से रोहिणी नगर-द्वितीय में भूखण्ड संख्या बी-149 को नियमानुसार ब्याज व पेनल्टी लेकर नियमितिकरण किये जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-11	
3	122.3	भूखण्ड संख्या 579, रोहिणी नगर-प्रथम योजना के नियमितिकरण बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से रोहिणी नगर-प्रथम में भूखण्ड संख्या 579 को नियमानुसार ब्याज व पेनल्टी लेकर नियमितिकरण किये जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-11	
4	122.4	गोविन्दपुरा सांगानेर आवासीय योजना में भूखण्ड/आवास आवंटन के नियमितिकरण के सम्बन्ध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से गोविन्दपुरा सांगानेर आवासीय योजना में भूखण्ड/आवास सं. 594, 375 व 1 के आवंटन को नियमानुसार मूल राशि जमा कराने की तिथी तक ब्याज व पेनल्टी लेकर नियमितिकरण किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति दी गई। प्रकरण दो वर्ष से अधिक विलम्ब का होने के कारण राज्य सरकार की सक्षम स्वीकृति प्राप्त किये जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-8	
5	122.5	रोहिणी नगर -द्वितीय में भूखण्ड सं. बी-1174 के नियमितिकरण के सम्बन्ध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से रोहिणी नगर-द्वितीय में भूखण्ड संख्या बी-1174 को नियमानुसार ब्याज व पेनल्टी लेकर नियमितिकरण किये जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-11	
6	122.6	रोहिणी नगर -द्वितीय में भूखण्ड सं. बी-919 के नियमितिकरण के सम्बन्ध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से रोहिणी नगर-द्वितीय में भूखण्ड संख्या बी-919 को नियमानुसार ब्याज व पेनल्टी लेकर नियमितिकरण किये जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-11	
7	122.7	रोहिणी नगर -द्वितीय में भूखण्ड सं. ए-144 के नियमितिकरण के सम्बन्ध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से रोहिणी नगर-द्वितीय में भूखण्ड संख्या ए-144 को नियमानुसार ब्याज व पेनल्टी लेकर नियमितिकरण किये जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-11	
8	122.8	रोहिणी नगर -द्वितीय में भूखण्ड सं. बी-823 के नियमितिकरण के सम्बन्ध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से रोहिणी नगर-द्वितीय में भूखण्ड संख्या बी-823 को नियमानुसार ब्याज व पेनल्टी लेकर नियमितिकरण किये जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-11	
9	122.9	श्री धनपत सिंह सहायक अभियन्ता की प्रतिनियुक्ति अवधि में अभिवृद्धि के सम्बन्ध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से श्री धनपत सिंह, सहायक अभियन्ता की प्रतिनियुक्ति अवधि में आगामी 1 वर्ष अर्थात् दिनांक 8.10.08 तक बढ़ाये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति दी गई। लेकिन 5 वर्ष पश्चात् प्रतिनियुक्ति अवधि बढ़ाने हेतु राज्य सरकार की सक्षम स्वीकृति प्राप्त की जावे। नियमानुसार प्रतिनियुक्ति भत्ता देय नहीं होगा।	अति. आयुक्त (प्रशासन)	
10	122.10	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम नृसिंहपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 370, 371, किता 2 रकबा 2.20 हेक्टियर भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से आवासीय किये जाने के सम्बन्ध में। (असल बिल्डवैल प्रा.लि.)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम नृसिंहपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 370, 371, किता 2 रकबा 2.20 हेक्टियर भूमि में से राष्ट्रीय राजमार्ग में निहित होने वाली 1228.25 व.मी. जविप्रा को नि.शुल्क समर्पित करने की शर्त पर एवं प्लान्टेशन कोरीडोर की 3030 व.मी. भूमि को छोड़ते हुये शेष 17741.75 व.मी. भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से आवासीय किये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त एजेण्डा को टाउनशिप योजना का भाग मानते हुये स्वीकृति दी गई। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना) / जोन-11	
11	122.11	जविप्रा क्षेत्र में स्थित जविप्रा द्वारा अनुमोदित सहकारी मित्र गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना पृथ्वीराज नगर के पुर्नगठित भूखण्ड सं. 42-43 क्षेत्रफल 700 वर्गगज का भू-उपयोग उपात्तरण आवासीय से व्यावसायिक (पेट्रोल पम्प) किये जाने के सम्बन्ध में। (श्री रमेश सिंह पंवार व अन्य)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से नियमानुसार पेट्रोल की स्थापना जंक्शन से 100 मीटर की दूरी होनी आवश्यक है, जबकि आवेदित भूखण्ड रोड जंक्शन से 15 मीटर की दूरी पर स्थित है एवं राज्य सरकार की छोड़े भूखण्डों पर व्यावसायिक गतिविधि से सम्बन्धित पॉलिसी दिनांक 22.10.07 के अनुसार नहीं होने के कारण प्रकरण निरस्त किया गया।	निदेशक (आयोजना) / जोन-5	

ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/ सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
12	122.12	जविप्रा क्षेत्र में स्थित जविप्रा द्वारा अनुमोदित पंचायत भवन गृ. नि.स.समिति की योजना 10बी के पुर्नगठित प्लॉट नं. बी-37, बी-38 व बी-39 क्षेत्रफल 806.25 वर्गगज का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से व्यावसायिक किये जाने के सम्बन्ध में। (श्री दयानिधी, सुधानिधी व अन्य)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्रकरण राज्य सरकार की छोटे भूखण्डों पर व्यावसायिक नीति से पूर्व का होने से जविप्रा द्वारा अनुमोदित पंचायत भवन गृ.नि.स.समिति की योजना 10बी के पुर्नगठित भू.सं. बी-37, बी-38 व बी-39 क्षेत्रफल 806.25 वर्गगज का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से व्यावसायिक किये जाने का निर्णय लिया गया।	निदेशक (आयोजना) / जोन-5
13	122.13	जविप्रा क्षेत्र में स्थित निजी खातेदारी की योजना आशादीप एनक्लेव ए जगतपुरा के भूखण्ड सं. बी-3 क्षेत्रफल 501.29 वर्गगज का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से व्यावसायिक किये जाने के सम्बन्ध में। (श्री मणिमद जैन)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्रकरण राज्य सरकार की छोटे भूखण्डों पर व्यावसायिक नीति से पूर्व का होने से निजी खातेदारी की योजना आशादीप एनक्लेव ए जगतपुरा के भूखण्ड सं. बी-3 क्षेत्रफल 501.29 वर्गगज का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से व्यावसायिक किये जाने का निर्णय लिया गया।	निदेशक (आयोजना) / जोन-9
14	122.14	निजी खातेदार की भूमि ग्राम सुदर्शनपुरा के खसरा नं. 42 (गीजगढ हाउस) की 6441.01 व.ग. भूमि जिसका भूमि का हस्तांतरण नगर निगम को किया गया है का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से व्यावसायिक किये जाने के संबंध में। (फुटफुल बिल्डकों प्रा.लि.)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम सुदर्शनपुरा के खसरा नं. 42 (गीजगढ हाउस) की 6441.01 व.ग. भूमि जिसका भूमि का हस्तांतरण नगर निगम को किया गया है का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से व्यावसायिक किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना) / जोन-5
15	122.15	जविप्रा क्षेत्र में स्थित जविप्रा द्वारा अनुमोदित मौजी गृ.नि. सहकारी समिति की योजना मौजी कॉलोनी के पुर्नगठित भूखण्ड सं. 28 एवं 29 क्षेत्रफल 1074.62 वर्गगज भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ किये जाने के सम्बन्ध में। (श्रीमती कुसुम देवडा पत्नि श्री एस. एस. देवडा)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्रकरण राज्य सरकार की छोटे भूखण्डों पर व्यावसायिक नीति से पूर्व का होने से जविप्रा द्वारा अनुमोदित मौजी गृ.नि. सहकारी समिति की योजना मौजी कॉलोनी के पुर्नगठित भूखण्ड सं. 28 एवं 29 क्षेत्रफल 1074.62 वर्गगज भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया। आवेदित भूमि पर पैरामीटर्स योजनानुसार देय होंगे।	निदेशक (आयोजना) / जोन-1
16	122.16	जविप्रा क्षेत्र में स्थित जविप्रा द्वारा अनुमोदित मौजी गृ.नि.स. समिति की योजना मौजी कॉलोनी के पुर्नगठित भूखण्ड सं. 36 व 37 क्षेत्रफल 1000 वर्गगज भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ किये जाने के सम्बन्ध में। (श्री एस.एस. देवडा एवं श्रीमती हेमा राठौड)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्रकरण राज्य सरकार की छोटे भूखण्डों पर व्यावसायिक नीति से पूर्व का होने से जविप्रा द्वारा अनुमोदित मौजी गृ.नि.स.समिति की योजना मौजी कॉलोनी के पुर्नगठित भूखण्ड सं. 36 व 37 क्षेत्रफल 1000 वर्गगज भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया। भूखण्ड का कुछ भाग पर निर्माण किया हुआ है, जिसके सम्बन्ध में उपान्तरण/रूपान्तरण जारी करने से पूर्व निर्मित भाग को ध्वस्त किया जाकर भवन विनियम 2000 के तहत जविप्रा से मानिचत्र अनुमोदित कराकर निर्माण कराया जावे।	निदेशक (आयोजना) / जोन-1


**अन्य मुद्दे आयुक्त महोदय की अनुमति से (SUPPLEMENTARY AGENDA)**

17	122.17	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम डाबडी तहसील आमेर के खसरा नम्बर 641 कुल भूमि 1.92 हेक्टेयर अर्थात् 19200 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से औद्योगिक किये जाने के सम्बन्ध में। (श्री हनी शर्मा स्वादिष्ट ऑयलस प्रा.लि.)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्रकरण स्थिगित किया गया। प्रार्थी श्रीको से एनओसी एवं इण्डस्ट्री विभाग से रजिस्ट्रेशन सम्बन्धी प्राप्त दस्तावेज प्रस्तुत करें, साथ ही स्थापित की जाने वाली औद्योगिक इकाई उद्योग के किस वर्ग में आती है, कि भी जानकारी की जावे, तत्पश्चात् प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।	निदेशक (आयोजना) / जोन-12
18	122.18	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम महापुरा तहसील साँगानेर के खसरा नम्बर 1931/212 रकबा 0.150 हेक्टेयर में से लिया गया रकबा 0.115 हेक्टेयर, खसरा नं. 1932/209 रकबा 0.426 हेक्टेयर में से लिया गया रकबा 0.206 हेक्टेयर, खसरा नं. 1933/208 रकबा 0.350 हेक्टेयर में से लिया गया रकबा 0.160 हेक्टेयर, खसरा नं. 1934/207 रकबा 0.480 हेक्टेयर में से लिया गया रकबा 0.310 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 1935/262 रकबा 0.540 हेक्टेयर में से लिया गया रकबा 0.390 हेक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 1.181 हेक्टेयर भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से आवासीय (ग्रुप हाउसिंग) किये जाने के सम्बन्ध में। (श्रीमती सुनीता दबडा)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम महापुरा तहसील साँगानेर के खसरा नम्बर 1931/212 रकबा 0.150 हेक्टेयर में से लिया गया रकबा 0.115 हेक्टेयर, खसरा नं. 1932/209 रकबा 0.426 हेक्टेयर में से लिया गया रकबा 0.206 हेक्टेयर, खसरा नं. 1933/208 रकबा 0.350 हेक्टेयर में से लिया गया रकबा 0.160 हेक्टेयर, खसरा नं. 1934/207 रकबा 0.480 हेक्टेयर में से लिया गया रकबा 0.310 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 1935/262 रकबा 0.540 हेक्टेयर में से लिया गया रकबा 0.390 हेक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 1.181 हेक्टेयर में से 12*2.50 व.मी. भूमि जविप्रा को नि:शुल्क समर्पित करने की शर्त पर एवं प्लान्डेशन कोरीडोर में से राष्ट्रीय राजमार्ग में निहित होने वाली 1826.50 व.मी. भूमि छोड़ने के पश्चात् शेष 8751 व.मी. भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से आवासीय (ग्रुप हाउसिंग) किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना) / जोन-11

ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/ सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
19	122.19	जविप्रा क्षेत्र में स्थित तोपखाना देश गृह निर्माण/सहकारी समिति की योजना नेमी नगर पूर्णगठित भूखण्ड सं. 11 एवं 12 क्षेत्रफल 1000 वर्गगज का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से व्यावसायिक किये जाने के सम्बन्ध में। (श्रीमती राजश्री पत्नि श्री नरेन्द्र राठौड)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्रकरण राज्य सरकार की छोटे भूखण्डों पर व्यावसायिक नीति से पूर्व का होने से तोपखाना देश गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना नेमी नगर पूर्णगठित भूखण्ड सं. 11 एवं 12 क्षेत्रफल 1000 वर्गगज का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से व्यावसायिक किये जाने का निर्णय लिया गया।	निदेशक (आयोजना) / जॉन-7
20	122.20	जविप्रा क्षेत्र में स्थित निजी खातेदारी की योजना आशादीप एनक्लेव ए जगतपुरा के भूखण्ड सं. बी-2 क्षेत्रफल 970.36 वर्गगज का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से व्यावसायिक किये जाने के सम्बन्ध में। (श्रीमती मंजूषा गुप्ता)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्रकरण राज्य सरकार की छोटे भूखण्डों पर व्यावसायिक नीति से पूर्व का होने से निजी खातेदारी की योजना आशादीप एनक्लेव ए जगतपुरा के भूखण्ड सं. बी-2 क्षेत्रफल 970.36 वर्गगज का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से व्यावसायिक किये जाने का निर्णय लिया गया।	निदेशक (आयोजना) / जॉन-8
21	122.21	जविप्रा क्षेत्र में स्थित निजी खातेदारी की योजना आशादीप एनक्लेव ए जगतपुरा के भूखण्ड सं. बी-1 क्षेत्रफल 811.99 वर्गगज का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से व्यावसायिक किये जाने के सम्बन्ध में। (श्री अनिल बाफना)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्रकरण राज्य सरकार की छोटे भूखण्डों पर व्यावसायिक नीति से पूर्व का होने से निजी खातेदारी की योजना आशादीप एनक्लेव ए जगतपुरा के भूखण्ड सं. बी-1 क्षेत्रफल 811.99 वर्गगज का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से व्यावसायिक किये जाने का निर्णय लिया गया।	निदेशक (आयोजना) / जॉन-9
22	122.22	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम खो रेबारियान तहसील साँगानेर के खसरा नम्बर 13 किस्म भूमि गैरमुमकिन आबादी कुल रकबा 1.51 हेक्टेयर में से 1167.50 वर्गगज जो जविप्रा के नाम खातेदारी में दर्ज, का भू-उपयोग मास्टर विकास योजना 2011 जयपुर क्षेत्र में इकोलोजिकल से वाणिज्यिक (पेट्रोल पम्प) प्रयोजनार्थ किये जाने के सम्बन्ध में। (श्री घनश्याम अग्रवाल)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्रकरण स्थगित किया गया। आवेदित भूमि आबादी की होने के कारण स्वामित्व के सम्बन्ध में पूर्ण जाँच की जावें। आबादी भूमि नगर निगम के पास होनी चाहिये, तत्पश्चात् प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावें।	निदेशक (आयोजना) / जॉन-10
23	122.23	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम लुनियावास तहसील आमेर के खसरा नम्बर 477, 477/571 व 469 कुल किता 3 कुल रकबा 0.74 हेक्टेयर अर्थात् 8850 वर्गगज भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण इकोलोजिकल से वाणिज्यिक किये जाने के सम्बन्ध में। (श्री शान्ति लाल हीरावत)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्रकरण स्थगित किया गया। प्रार्थी से जानकारी ली जावें कि वाणिज्यिक उपयोग में क्या प्रयोजन किया जावेगा एवं सर्व मानचित्र प्राप्त किया जावें। आसपास के क्षेत्र की जाँच की जावें कि क्या एकान्त तो नहीं है। तत्पश्चात् प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावें।	निदेशक (आयोजना) / जॉन-12
24	122.24	जविप्रा क्षेत्र में स्थित जयपुर महानगर टाईम्प को मुख्य विधानसभा की 80 फिट चौड़ी सड़क पर लालकोठी योजना के भूखण्ड सं. सी-127 से सी-128 व ई-243 से ई-246 कुल क्षेत्रफल 891.84 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से संस्थानिक (सिर्फ कार्यालय उपयोग हेतु) किये जाने के सम्बन्ध में। (जयपुर महानगर टाईम्प)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्रकरण राज्य सरकार की छोटे भूखण्डों पर व्यावसायिक नीति से पूर्व का होने से जयपुर महानगर टाईम्प को मुख्य विधानसभा की 80 फिट चौड़ी सड़क पर लालकोठी योजना के भूखण्ड सं. सी-127 से सी-128 व ई-243 से ई-246 कुल क्षेत्रफल 891.84 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से संस्थानिक (सिर्फ कार्यालय उपयोग हेतु) किये जाने का निर्णय लिया गया। आवेदित भूखण्ड के आगे से एच.टी. टाईन गुजरने के कारण सामने का सेटबैक 9 मीटर व शेष पैरामीटर योजना अनुसार देय होंगे।	निदेशक (आयोजना) / जॉन-3
25	122.25	जविप्रा क्षेत्र में स्थित जविप्रा द्वारा अनुमोदित छत्रपति शिवाजी गृ.नि.स.समिति की योजना श्रीराम नगर के पुर्णगठित भू.सं. 17 व 17ए क्षेत्रफल 1058 वर्गगज का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से व्यावसायिक किये जाने के सम्बन्ध में। (श्री मुरारी लाल कन्दौई)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्रकरण राज्य सरकार की छोटे भूखण्डों पर व्यावसायिक नीति से पूर्व का होने से जविप्रा द्वारा अनुमोदित छत्रपति शिवाजी गृ.नि.स.समिति की योजना श्रीराम नगर के पुर्णगठित भू.सं. 17 व 17ए क्षेत्रफल 1058 वर्गगज का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से व्यावसायिक किये जाने का निर्णय लिया गया। आवेदित भूमि पर पैरामीटर्स योजनानुसार देय होंगे।	निदेशक (आयोजना) / जॉन-6
26	122.26	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम गुणावता तहसील आमेर के खसरा नम्बर 680/1832 व 681 किता 2 रकबा 2.53 हेक्टेयर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण इकोलोजिकल से संस्थानिक किये जाने के सम्बन्ध में। (श्री अर्जुन लाल मीणा)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम गुणावता तहसील आमेर के खसरा नम्बर 680/1832 व 681 किता 2 रकबा 2.53 हेक्टेयर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण इकोलोजिकल से संस्थानिक किये जाने के सम्बन्ध में सशर्त यह निर्णय लिया गया कि इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हेतु नॉर्मर्स के अनुसार आवेदित भूमि पर्याप्त हो, साथ ही इंजीनियरिंग कॉलेज के लिये सड़क की चौड़ाई नॉर्मर्स के अनुसार पर्याप्त होनी चाहिये की जाँच कर तत्पश्चात् ही इकोलोजिकल से संस्थानिक उपान्तरण हेतु 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।	निदेशक (आयोजना) / जॉन-12

ए.स.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/ सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट	
27	122.27	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम भांकरोटा कला सांगानेर के खसरा नम्बर 1204/2987, 1205/2988, 1206/2989, 1207/2990, 1228 से 1231 कुल किता 8 रकबा 2.35 हेक्टेयर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से व्यावसायिक किये जाने के सम्बन्ध में। (मै. लश्करी डवलपर्स प्रा.लि.)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम भांकरोटा कला तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 1204/2987, 1205/2988, 1206/2989, 1207/2990, 1228 से 1231 कुल किता 8 रकबा 2.35 हेक्टेयर में से सड़क सीमा में निहित होने वाली 1500 वर्ग मी. भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से व्यावसायिक किये जाने के निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 वर्ग मी. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना) / जोन-11	
28	122.28	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम भांकरोटा तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 1371 से 1373, 1402, 1403, 1544, 1545, 1544/2815 किता 8 कुल रकबा 2.46 हेक्टेयर अर्थात् 24600 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय क्षेत्र से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ किये जाने के सम्बन्ध में। (मैसर्स गीत एक्सपोर्ट)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम भांकरोटा तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 1371 से 1373, 1402, 1403, 1544, 1545, 1544/2815 किता 8 कुल रकबा 2.46 हेक्टेयर अर्थात् 24600 वर्गमीटर में से सड़क सीमा में आने वाली 1216 वर्ग मी. भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर एवं सेक्टर रोड के साथ स्वीकृत सेक्टर वाणिज्यिक भू-पट्टी में निहित होने वाली 5390 वर्ग मी. भूमि छोड़ने के पश्चात् शेष बची 17994 वर्ग मी. भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय क्षेत्र से व्यावसायिक किये जाने के निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 वर्ग मी. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना) / जोन-11	
29	122.29	जविप्रा क्षेत्र में स्थित श्री छत्रपति शिवाजी गृ.नि.स. समिति की योजना रामनाथपुरी के पुर्नगठित भूखण्ड सं. 39, 40 व 41 (उपविभाजित भाग क्षेत्रफल 300 वर्गगज) क्षेत्रफल 1493.78 वर्गगज में से 476.32 वर्गगज भू-क्षेत्र मास्टर प्लान अनुसार व्यावसायिक भू-उपयोग होने के कारण उक्त भूमि को छोड़ते हुये पुर्नगठित भूखण्ड की शेष 1017.46 वर्गगज भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से व्यावसायिक किये जाने के सम्बन्ध में। (श्रीमती गीता देवी)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्रकरण स्थगित किया गया। प्रकरण में जेडीए अधिनियम 1982 की धारा 25 (3) की प्रकाशित विज्ञप्ति दिनांक 18.4.04 के सम्बन्ध में प्राप्त आपत्ति का जोन द्वारा निस्तारण कराया जावे, साथ ही आपत्ति का निस्तारण 2 1/2 वर्ष (दोई वर्ष) तक विलम्ब होने के कारण के साथ आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।	निदेशक (आयोजना) / जोन-6	
30	122.30	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम रामचन्द्रपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 134, 135, 135/346, 131 कुल किता 4 कुल रकबा 1.71 हेक्टेयर अर्थात् 17100 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से वाणिज्यिक किये जाने के सम्बन्ध में। (ए.एम. स्क्वायर कन्स्ट्रक्शन हाउस प्रा.लि.)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम रामचन्द्रपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 134, 135, 135/346, 131 कुल किता 4 कुल रकबा 1.71 हेक्टेयर अर्थात् 17100 वर्गमीटर में से राष्ट्रीय राजमार्ग में निहित होने वाली 3256 वर्ग मी. व प्लान्टेशन कोरीडोर से प्रभावित 4652.10 वर्ग मी. अर्थात् कुल 7908.10 वर्ग मी. भूमि छोड़ते हुये शेष 9191.90 वर्ग मी. भूमि में से अन्य सड़क में निहित होने वाली 454.10 वर्ग मी. भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष 8737.80 वर्ग मी. भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से वाणिज्यिक किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 वर्ग मी. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना) / जोन-11	
31	122.31	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम नौदड तहसील आमेर खसरा नम्बर 2327, 2344 से 2353, 2357 से 2366, 2323, 2328, 2329, 2343 कुल किता 25 कुल रकबा 12.29 हेक्टेयर भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से आवासीय प्रयोजनार्थ किये जाने के सम्बन्ध में। (डंगाच कोलोनाईजर्स प्रा.लि.)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्रकरण स्थगित किया गया। प्रकरण में आवेदित भूमि से लगती हुये सनसिटी योजना की 60फिट सड़क से आवागमन की सुविधा प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।	निदेशक (आयोजना) / जोन-12	
32	122.32	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम रामचन्द्रपुरा विधाणी तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 1062, 1063, 1207 कुल किता 3 रकबा 2.76 हेक्टेयर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से वाणिज्यिक किये जाने के सम्बन्ध में। (पायोनियर कोलोनाईजर प्रा.लि.)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम रामचन्द्रपुरा विधाणी तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 1062, 1063, 1207 कुल किता 3 रकबा 2.76 हेक्टेयर में से 200 फिट रोड में आने वाली 9135 वर्ग मी. भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष 18465 वर्ग मी. भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से वाणिज्यिक किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 वर्ग मी. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना) / जोन-11	
33	122.33	जविप्रा क्षेत्र में स्थित जविप्रा द्वारा अनुमोदित न्यू पिक्सिटी गृ.नि.स.समिति की योजना गीजगढ विहार के भूखण्ड सं. 1 क्षेत्रफल 497.62 वर्गगज का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ किये जाने के सम्बन्ध में। (श्री आशुतोष बंसल एवं अवनीश बंसल)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्रकरण निरस्त किया गया, क्योंकि प्रकरण राज्य सरकार के छोटे भूखण्डों पर व्यावसायिक गतिविधि के सम्बन्ध में नई नीति का जारी परिपत्र दिनांक 22.10.07 के बाद धारा 25 (3) की अधिसूचना जारी हुई है।	निदेशक (आयोजना) / जोन-5	

ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/ सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट	
34	122.34	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम भांकरोटाकला तहसील साँगानेर के खसरा नम्बर 2576, 2581, 2582, 2575, 2578, 2579, 2583/2804 कुल किता 7 रकबा 1.81 हेक्टेयर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ किये जाने के सम्बन्ध में। (श्री राधेश्याम काबरा)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम भांकरोटाकला तहसील साँगानेर के खसरा नम्बर 2576, 2581, 2582, 2575, 2578, 2579, 2583/2804 कुल किता 7 रकबा 1.81 हेक्टेयर में से सड़क सीमा में निहित होने वाली 400 व.मी. भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने एवं सेक्टर रोड के सहारे स्वीकृत व्यावसायिक भू-पट्टी में निहित होने वाली 2168 व.मी. भूमि छोड़ने के पश्चात् शेष 15542 व.मी. भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना) / जोन-11	
35	122.35	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम ठिकरिया तहसील साँगानेर के खसरा नम्बर 114, 115, 125, 128, 42, 43, 46, 53, 55, 56/1147, 56/1070, 57 से 62, 66, 67, 68, 75, 76, 109, 110, 111, 113, 130 से 133, 140, 141, 142, 142/1080, 145, 146 हिस्सों में खसरा नम्बर 36, 40, 41, 42/1067, 49, 54, 69, 70, 71, 73, 74, 107, 108, 139, 143, 144, 145/1065, 147, 148, 149, 150, 150/1066, 151 से 155, 158, 159, 160 कुल किता 66 कुल रकबा 11.5279 हेक्टेयर भूमि का भू-उपयोग आवासीय क्षेत्र से व्यावसायिक किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति दी गई एवं प्रकरण को राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति में भेजने से पूर्व डीटेल प्लान प्राप्त किया जावे, तत्पश्चात् प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम ठिकरिया तहसील साँगानेर के खसरा नम्बर 114, 115, 125, 128, 42, 43, 46, 53, 55, 56/1147, 56/1070, 57 से 62, 66, 67, 68, 75, 76, 109, 110, 111, 113, 130 से 133, 140, 141, 142, 142/1080, 145, 146 हिस्सों में खसरा नम्बर 36, 40, 41, 42/1067, 49, 54, 69, 70, 71, 73, 74, 107, 108, 139, 143, 144, 145/1065, 147, 148, 149, 150, 150/1066, 151 से 155, 158, 159, 160 कुल किता 66 कुल रकबा 11.5279 हेक्टेयर भूमि का भू-उपयोग आवासीय क्षेत्र से व्यावसायिक किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति दी गई एवं प्रकरण को राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति में भेजने से पूर्व डीटेल प्लान प्राप्त किया जावे, तत्पश्चात् प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना) / जोन-11	



सचिव,

(सदस्य सचिव)

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर